प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

दिनांक 08.09.2025

जनपद अम्बेडकरनगर थाना को0 अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक-07.09.2025 को आयोजित PET परीक्षा-2025 में फर्जीवाड़ा कर दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे फर्जी छात्र अरुण कुमार यादव पुत्र जगदम्बा प्रसाद को किया गया गिरफ्तार।

जनपद अम्बेडकरनगर में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री केशव कुमार व श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय (पश्चिमी) श्री हरेन्द्र कुमार के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण एवं तलाश वांछित अपराधियो की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान में क्षेत्राधिकारी नगर महोदय श्री नितीश कुमार तिवारी के पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक श्रीनिवास पाण्डेय के नेतृत्व में दिनांक 07.09.2025 को आयोजित पेट परीक्षा-2025 परिक्षा केंद्र रमाबाई महिला महाविद्यालय अकबरपुर अम्बेडकरनगर में द्वितीय पाली समय 15.00 बजे से 17.00 बजे के दौरान कक्ष सं0-आर2 में परीक्षा दे रहे शैलेन्द्र सिंह यादव पुत्र संतोष कुमार यादव निवासी कैधौरापरुआ पट्टी ठाकुरगंज थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर अनुक्रमांक 100893 का बायोमैट्रिक मैच न होने के कारण कंट्रोल रूम लखनऊ की सूचना पर पुनः बायोमेट्रिक कराया गया। गहन जांच से स्पष्ट हुआ कि उपरोक्त परीक्षार्थी के स्थान पर दूसरा व्यक्ति जिसका नाम अरुण कुमार यादव पुत्र जगदम्बा प्रसाद निवासी बूढ़ापुर कुतुब अली ईशापुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ परीक्षा दे रहा था, जो शैलेन्द्र कुमार यादव उपरोक्त का आधार कार्ड दिनांक 06.09.2025 को प्रिन्ट कराया गया है, जो कूटरचित है ।अरुण कुमार ने उक्त आधार कार्ड सं0-214294496857 का प्रयोग कर परीक्षा दे रहा था। जिसे अरुण कुमार ने स्वीकार किया कि वह शैलेन्द्र सिंह यादव के स्थान पर परीक्षा देने आया था और यह भी स्वीकार्य किया कि इस कार्य के लिये शैलेन्द्र सिंह यादव ने 50 हजार रु देने की बात कही है और शैलेन्द्र सिंह यादव ने 27 हजार रु0 आनलाइन फोन-पे के माध्यम से मुझे दिये है। शेष 23 हजार रु0 रिजल्ट निकलने के बाद देगा तथा यह भी बताया कि मेरी मुलाकात शैलेन्द्र सिंह यादव ने सुरेन्द्र यादव पुत्र रामचन्द्र यादव निवासी ग्राम प्यारे पुर थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर , जो मेरे साथ प्रयागराज मे रहता था ने करायी थी और इसी ने पूरे लेन देन की व्यवस्था करायी थी। इस तरह से अरुण कुमार यादव द्वारा परीक्षा की सुचिता को भंग करने का प्रयास किया गया जिसे दिनांक 07.09.2025 को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-685/25 धारा–319(2)/338/336(3)/340(2)/318(4)/61(2) बीएनएस व 13(2) सार्वजनिक परीक्षा अधि0 2024 पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 08.09.2025 को थाना को0 अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा सम्बन्धित मु0अ0सं0-685/25 धारा–319(2)/338/336(3)/340(2)/318(4)/61(2) बीएनएस व 13(2) सार्वजनिक परीक्षा अधि0 2024 से सम्बंधित प्रकाश मे आये अभियुक्त 1.सुरेन्द्र यादव पुत्र रामचन्द्र यादव निवासी प्यारेपुर थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर की तलाश में थाना अकबरपुर पुलिस टीम मरैला में मौजूद थी कि तभी जरिए मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि साहब जिस अभियुक्त की तलाश आप कर रहे है वह जाफरगंज चौराहे अर्पित मिष्ठान भण्डार की दुकान के सामने खडा है कही जाने की फिराक मे है ,जल्दी करे तो पकडा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर मुखबिर द्वारा बताये हुये स्थान से करीब 100 मीटर दूर रुक कर 01 व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया गया कि यही वह व्यक्ति है और मुखबिर वहा से चला गया। बताये गये व्यक्ति को पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पुलिस हिरासत में लिया गया। पकडे गये व्यक्ति से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम सुरेन्द्र यादव पुत्र रामचन्द्र यादव निवासी ग्राम प्यारेपुर थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर व उम्र 29 वर्ष बताया। पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तारी व जुर्म से अवगत कराते हुए समय करीब 11.20 बजे उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1-अरुण कुमार यादव पुत्र जगदम्बा प्रसाद निवासी बूढापुर कुतुब अली ईशापुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

2-सुरेन्द्र यादव पुत्र रामचन्द्र यादव निवासी प्यारेपुर थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर।

विवरण पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0-685/25 धारा–319(2)/338/336(3)/340(2)/318(4)/61(2) बीएनएस व 13(2) सार्वजनिक परीक्षा अधि0 2024

गिरफ्तारी स्थान– जाफरगंज चौराहा

गिरफ्तारी दिनांक –08.09.2025 समय– 11.20 बजे

विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

श्री निवास पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अकबरपुर

निरीक्षक संतोष कुमार शुक्ला

उ0नि0 इसहाक खां

का0 सोनू यादव

का0 नसीम

का0 राहुल